



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1752) पटना, शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
5 दिसम्बर 2025

सं० वि०सं०वि०-23/2025-4569/वि०सं०।— “बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-5 दिसम्बर, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
डॉ० ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-18/2025]

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2025-26 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 91717,11,35,000 (इक्यानवे हजार सात सौ सत्रह करोड़ ग्यारह लाख पैंतीस हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2025 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 91717,11,35,000 (इक्यानवे हजार सात सौ सत्रह करोड़ ग्यारह लाख पैंतीस हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2025 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियाँ (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	पूँजी	1,87,17,00,000	0	1,87,17,00,000
		राजस्व	2,08,15,42,000	0	2,08,15,42,000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	2,63,08,82,000	0	2,63,08,82,000
03	भवन निर्माण विभाग	पूँजी	7,22,86,91,000	0	7,22,86,91,000
		राजस्व	61,76,01,000	0	61,76,01,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	पूँजी	5,75,27,00,000	0	5,75,27,00,000
		राजस्व	12,40,10,000	0	12,40,10,000
05	राज्यपाल सचिवालय	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	1,22,00,00,000	0	1,22,00,00,000
07	निगरानी विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	6,81,30,000	0	6,81,30,000
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	2,90,50,000	0	2,90,50,000
09	सहकारिता विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	8,86,15,000	0	8,86,15,000
10	ऊर्जा विभाग	पूँजी	8,02,27,00,000	0	8,02,27,00,000
		राजस्व	64,62,40,58,000	0	64,62,40,58,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
12	वित्त विभाग	पूंजी	2,24,89,50,00,000	0	2,24,89,50,00,000
		राजस्व	41,10,12,000	12,11,35,00,000	12,52,45,12,000
13	सूद भुगतान	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
15	पेंशन	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	1,10,00,000	1,10,00,000
16	पंचायती राज विभाग	पूंजी	5,50,00,00,000	0	5,50,00,00,000
		राजस्व	6,94,56,01,000	0	6,94,56,01,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,000	0	1,000
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	19,90,00,000	0	19,90,00,000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,88,98,84,000	0	1,88,98,84,000
20	स्वास्थ्य विभाग	पूंजी	21,11,51,05,000	0	21,11,51,05,000
		राजस्व	9,77,44,21,000	0	9,77,44,21,000
21	शिक्षा विभाग	पूंजी	66,14,46,000	0	66,14,46,000
		राजस्व	1,56,58,93,27,000	0	1,56,58,93,27,000
22	गृह विभाग	पूंजी	5,12,46,18,000	0	5,12,46,18,000
		राजस्व	1,99,41,00,000	0	1,99,41,00,000
23	उद्योग विभाग	पूंजी	6,01,50,34,000	0	6,01,50,34,000
		राजस्व	2,56,87,43,000	0	2,56,87,43,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	पूंजी	75,00,00,000	0	75,00,00,000
		राजस्व	77,66,52,000	0	77,66,52,000
26	श्रम संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	65,99,99,000	0	65,99,99,000
27	विधि विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,04,00,01,000	0	1,04,00,01,000
28	उच्च न्यायालय	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूंजी	45,00,00,000	0	45,00,00,000
		राजस्व	21,12,01,000	0	21,12,01,000
31	संसदीय कार्य विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	4,82,61,000	0	4,82,61,000
32	विधान मंडल	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	3,47,00,000	0	3,47,00,000
33	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,13,14,42,000	0	1,13,14,42,000
34	बिहार लोक सेवा आयोग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	40,20,00,000	40,20,00,000
35	योजना एवं विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	96,12,00,000	0	96,12,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
		राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूंजी	13,90,00,00,000	0	13,90,00,00,000
		राजस्व	2,10,000	0	2,10,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	9,63,56,000	0	9,63,56,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	15,68,47,000	0	15,68,47,000
41	पथ निर्माण विभाग	पूंजी	8,61,21,00,000	0	8,61,21,00,000
		राजस्व	4,00,00,00,000	0	4,00,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
		राजस्व	2,39,50,04,79,000	0	2,39,50,04,79,000
43	विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	8,65,97,000	0	8,65,97,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,98,77,33,000	0	1,98,77,33,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	16,62,69,000	0	16,62,69,000
46	पर्यटन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	15,53,00,000	0	15,53,00,000
47	परिवहन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,45,03,82,000	0	1,45,03,82,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	पूंजी	3,89,77,00,000	0	3,89,77,00,000
		राजस्व	19,56,20,73,000	0	19,56,20,73,000
49	जल संसाधन विभाग	पूंजी	10,46,10,42,000	0	10,46,10,42,000
		राजस्व	69,09,54,000	0	69,09,54,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	12,04,28,000	0	12,04,28,000
51	समाज कल्याण विभाग	पूंजी	76,90,15,000	0	76,90,15,000
		राजस्व	51,86,50,52,000	0	51,86,50,52,000
52	खेल विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	55,46,71,000	0	55,46,71,000
योग राजस्व			5,78,11,77,84,000	12,52,65,00,000	5,90,64,42,84,000
योग पूंजी			3,26,52,68,51,000	0	3,26,52,68,51,000
महायोग			9,04,64,46,35,000	12,52,65,00,000	9,17,17,11,35,000

डॉ० ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 91717,11,35,000 (इक्यान्वे हजार सात सौ सत्रह करोड़ ग्यारह लाख पैंतीस हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 05.12.2025

डॉ० ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1752-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>